गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 071
दि. 10.07.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

टीएमसी को एक दिन में दो बड़े झटके, तीन पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल; हाईकोर्ट ने फ्रीज खातों के संचालन पर लगाई शर्तें

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार का दिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए बड़े घटनाक्रमों से भरा रहा। एक ओर पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं और पूर्व राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक ने टीएमसी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया, वहीं दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने खातों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है और स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी इन खातों से केवल सीमित और निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही धनराशि निकाल सकेगी। इन दोनों घटनाक्रमों को पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में तीनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। पार्टी में शामिल होने से पहले तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। भाजपा ने इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव बताते हुए कहा कि अनुभवी नेताओं के पार्टी में आने से संगठन को और मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक टकराव की राजनीति का सामना कर रहा है, जिसका असर राज्य के विकास पर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के बजाय लगातार टकराव का रास्ता अपनाया, जिससे विकास परियोजनाओं और जनहित के कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास की नीति पर विश्वास जताते हुए तीनों वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।

भाजपा अध्यक्ष ने तीनों नेताओं के संसदीय अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा में प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव भाजपा के लिए उपयोगी साबित होगा और पार्टी संगठन उनका स्वागत करता है।

भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने टीएमसी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का राजनीतिक प्रभाव लगातार कमजोर हो रहा है। राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक था, लेकिन राज्य सरकार ने राजनीतिक टकराव को प्राथमिकता दी। उनका आरोप था कि इस नीति के कारण राज्य के विकास, निवेश और युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं जनकल्याण के बजाय राजनीतिक संघर्ष तक सीमित रह गई हैं।

इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में भी फैसला सुनाया। पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों के संचालन के लिए अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने आदेश दिया कि विशेष अधिकारी की निगरानी में ही टीएमसी इन खातों का सीमित उपयोग कर सकेगी।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पार्टी को इन खातों से मनमाने ढंग से धनराशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय के अनुसार, इन खातों से केवल पार्टी के दैनिक प्रशासनिक संचालन और कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों के लिए ही राशि निकाली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य बड़े या छोटे खर्च की अनुमति विशेष अधिकारी नहीं देंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि खातों से होने वाले प्रत्येक वित्तीय लेनदेन पर विशेष अधिकारी की निगरानी रहेगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पार्टी को कानूनी मामलों के लिए भी खातों से धन निकालने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी।

गुरुवार को सामने आए इन दोनों घटनाक्रमों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। एक ओर टीएमसी के तीन वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में जाना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के बैंक खातों के संचालन पर अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों को भी संगठनात्मक और वित्तीय दृष्टि से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी समय में इन घटनाओं का प्रभाव राज्य की राजनीतिक गतिविधियों और दलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर दिखाई दे सकता है।

एजीएमयूटी कैडर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 61 आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के तबादले; कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नई तैनाती

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख संयुक्त कैडरों में शामिल एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश) कैडर में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 61 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और 40 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारी अगले आदेश तक अपने नए कार्यस्थलों पर सेवाएं देंगे। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तबादला किए गए अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नियुक्त किया गया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह स्थानांतरण नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अधिकारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। एजीएमयूटी कैडर की विशेष व्यवस्था के कारण इस कैडर के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानांतरित किए जाते हैं, ताकि उन्हें विविध प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो सके और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता मजबूत हो।

इस व्यापक फेरबदल में दिल्ली में तैनात कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इन अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गोवा, मिजोरम, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं कुछ अधिकारी अन्य केंद्रशासित प्रदेशों से स्थानांतरित होकर दिल्ली और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार कई आईएएस अधिकारियों की भी नई तैनाती विभिन्न प्रशासनिक विभागों और राज्यों में की गई है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक अनुभव, कार्यकुशलता और संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में गति लाई जा सके।

एजीएमयूटी कैडर देश के उन विशेष संयुक्त कैडरों में शामिल है, जिसके अधिकारी एक ही सेवा के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य करते हैं। यही कारण है कि इस कैडर में समय-समय पर बड़े पैमाने पर तबादले किए जाते हैं। इससे अधिकारियों को अलग-अलग भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों में काम करने का अवसर मिलता है तथा शासन व्यवस्था को भी अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त होती हैं। गृह मंत्रालय ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को भी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता प्रभावित न हो। प्रशासनिक हलकों में इस व्यापक स्थानांतरण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों की नई तैनाती से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासनिक समन्वय, कानून-व्यवस्था, विकास परियोजनाओं के संचालन और शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और सभी अधिकारी अगले आदेश तक अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्य करेंगे।

पॉक्सो मामले में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बागीरथ को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत, जांच में सहयोग का निर्देश

हैदराबाद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बागीरथ को पॉक्सो (POCSO) मामले में सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार बागीरथ की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दो-दो एक लाख रुपये के जमानती प्रस्तुत करने सहित निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करना होगा।

हाई कोर्ट ने इस मामले में 6 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार, बागीरथ जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित रहेगा और जांच में सहयोग करेगा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक पल्ले नागेश्वर राव ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत से कहा कि यदि आरोपी को इस स्तर पर रिहा किया गया तो उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि पुलिस मामले की जांच लगभग पूरी कर चुकी है और जल्द ही आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने की प्रक्रिया में है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दलीलों में कहा गया कि बागीरथ पिछले 40 दिनों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है और जांच में सहयोग कर रहा है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इन दलीलों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने निर्धारित शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली।

यह मामला 8 मई को हैदराबाद के पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। शिकायत एक 17 वर्षीय किशोरी की मां ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बागीरथ उनकी बेटी के साथ संबंध में था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

मामले में पुलिस ने 16 मई की रात बागीरथ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में था और बाद में उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

इस मामले में बागीरथ ने भी एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उसने दावा किया कि किशोरी ने स्वयं उससे संपर्क किया था और उसे पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करती थी। बागीरथ का आरोप है कि बाद में किशोरी और उसके परिजनों ने उस पर विवाह करने का दबाव बनाया। जब उसने विवाह से इनकार किया तो उससे धनराशि की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर भी अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है, बल्कि यह केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान निर्धारित शर्तों के साथ अंतरिम राहत है। मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय संबंधित अदालत द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

उप मुख्यमंत्री ने लिम्बायत, डिंडोली और सारोली क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की समस्याएँ सुनकर त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया

गांधीनगर, : सूरत शहर में हुई भारी वर्षा के कारण शहर के अनेक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने लिम्बायत, डिंडोली और सारोली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों के साथ संवाद कर उनकी कठिनाइयाँ जानीं।

उन्होंने दौरे के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय दुकानदारों, सोसाइटियों के निवासियों और प्रभावित परिवारों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं, नुकसान और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा नागरिकों तक आवश्यक सहायता समय पर पहुँचे; इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए।

श्री संघवी ने अधिकारियों को वर्षा जल की शीघ्र निकासी, सफाई कार्य, विद्युत आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए। साथ ही; प्रभावित परिवारों को कैश डोल्स तथा घरेलू उपयोग की सामग्री सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए भी त्वरित कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने स्थानीय निवासियों की कठिनाइयों और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल, महापौर श्रीमती मायाबेन मावाणी, सूरत जिला प्रभारी सचिव शालिनी अग्रवाल, महानगर पालिका आयुक्त श्री एम. नागराजन, शहर पुलिस आयुक्त श्री वाबांग जमीर, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजनभाई पटेल और मनपा के अधिकारी उपस्थित रहे।

सूरत में हुई मूसलाधार बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी, शहर पानी में डूब गया, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ और करोड़ों रुपये की क्षति हुई

(छगनलाल मेवाड़ा) सूरत

स्वच्छ सूरत, खूबसूरत सूरत का ढोल पीटने वाली सूरत नगर निगम मंगलवार को सूरत शहर में आई प्राकृतिक आपदा के सामने बेनकाब हो गई और उसकी व्यवस्था का पर्दाफाश हो गया। इस आपदा ने शहर को झकझोर कर रख दिया। जब पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था, तब सूरत नगर निगम के निर्वाचित पदाधिकारी और अधिकारी नगर निगम भवन में सेव खमन और ढोकला बजाते हुए नए नियुक्त अधिकारियों को मुस्कुराते चेहरों से बधाई दे रहे थे। दूसरी ओर, बेमौसम बारिश के कारण मनुष्य जानवरों से भी बदतर हालत में मर रहे थे। कुछ तेज धारा से, कुछ डूबने से और कुछ पेड़ गिरने से मर रहे थे। यह कहना कितना शर्मनाक है कि क्या जिम्मेदार, निर्दयी इंसान इतना बेरहम हो रहा है? इस भारी बारिश ने सूरत के प्रशासन और जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी खूब तारीफ होती है। भारी बारिश आने पर शहर में जल निकासी की योजना मजबूत होनी चाहिए। देश 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, तकनीक में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन सूरत शहर में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए ठोस योजना के अभाव में प्रकृति का यह प्रचंड प्रकोप कभी-कभी तबाही का रूप ले लेता है, और शहरवासियों को पानी के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है और यहां तक कि जान भी गंवानी पड़ती है।

यह याद रखना चाहिए कि पिछले साल भी, नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए योजनाएँ बनाई गईं, चर्चाएँ हुईं और कई दावे किए गए। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन बैठकों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। केवल बैठकों और समीक्षाओं से काम नहीं चलेगा। ठोस कार्य के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों द्वारा एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी कहाँ से निकाला जा सकता है? पानी को कहाँ मोड़ा जा सकता है? और नदियों की गहराई कैसे बढ़ाई जा सकती है? तत्काल आधार पर एक ठोस योजना बनाकर, शहर के हित में नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास किए जाने चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों, पदाधिकारियों और ठगों की मिलीभगत से शहर से गुजरने वाली सभी नालियों पर बने बाजारों और इमारतों के कारण नालियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास की श्रमिक बस्तियों और व्यापारियों के घरों, जान-माल का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह प्रशासन की घोर लापरवाही का भी एक उदाहरण है। इस वर्ष, मूसलाधार बारिश के मात्र चार दिनों में बिजली के झटके, पेड़ गिरने या पानी में बह जाने से मरने वालों की संख्या 16 से अधिक हो गई है। इसने मानवता पर गहरा प्रहार किया है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि 2006 की तापीपुर बाढ़ के बाद, यानी दो दशकों में पहली बार, पूरा सूरत बारिश के पानी में डूब गया और सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गईं। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में आज तक पानी नहीं बह रहा था, वहां भी घर, दुकानें और आंगनों में खड़ी गाड़ियां पानी में इस तरह डूब गईं मानो वे स्नान कर रही हों। इस बाढ़ का सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि तापी नदी में बाढ़ आने के बजाय, भारी बारिश और उसके परिणामस्वरूप नाले में आई बाढ़ के कारण ही सूरत का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ के खतरे में आ गया, जिससे शहरवासियों को जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ा। यह इस शहर के कुप्रबंधन का "उपहार" है, जो इस क्षति के रूप में मिला है।

संपादकीय

गैंगवार पर वार

अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ के खिलाफ कई देशों में कार्रवाई करते हुए दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार करने और नशीले पदार्थ व हथियार बरामद करने का दावा किया है। इतना ही नहीं कई अपराधों में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर भी एफबीआई ने पचास हजार डॉलर का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का दावा है कि इन गैंगों के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई में एफबीआई, लॉस एंजिल्स पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस तथा अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका की यह ताबड़-तोड़ कार्रवाई कनाडा सरकार की उस घोषणा के तुरंत बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि कनाडा के निज्जर हत्याकांड में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। उल्लेखनीय है कि बहुचर्चित निज्जर हत्याकांड को लेकर पिछली जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत सरकार के एक अधिकारी पर संलिप्तता के आरोप लगाए थे। जिसके चलते भारत व कनाडा के रिश्ते सबसे निचले स्तर तक जा पहुंचे थे। लेकिन नई सरकार ने ट्रूडो की थ्योरी को नकार दिया था। जिसके बाद ही अमेरिका की यह तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। कनाडा पुलिस के सूत्रों के अनुसार अमेरिका लारेंस बिश्नोई के प्रत्यारोपण की मांग करेगा। फिलहाल बिश्नोई गुजरात की एक जेल में 2015 से बंद है। बहरहाल, अमेरिकी एजेंसियों द्वारा चलाए गए 'हॉर्ड बॉल ऑपरेशन' में जिन 24 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पर भारत से जुड़े संगठित अपराधी गुटों से संबंध होने का आरोप लगाया है। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ को कई मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिसमें साल 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल होना भी है। बाकायदा अमेरिका ने बिश्नोई को निज्जर हत्याकांड में आरोपी बनाया है। उधर लॉस एंजिल्स के संघीय अभियोजकों का दावा है कि ये गिरफ्तारियां कई साल तक चली जांच का नतीजा हैं, जो भारतीय अपराधी गिरोहों पर केंद्रित रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में 37 अभियुक्तों पर आरोप लगाए गये हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका की नीतियां अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पर ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे में भारतीय गैंगस्टरों पर की जा रही ताबड़-तोड़ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाये जा रहे हैं। निस्संदेह, गैंगवार पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन सवाल इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर है। इससे ठीक पहले कनाडा सरकार ने निज्जर हत्याकांड में भारत की किसी भूमिका को खारिज किया था। अमेरिका का आकलन है कि राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ गैंगस्टरों को राजाश्रय हासिल है। आरोपपत्र में यह भी दावा किया गया है कि बिश्नोई ने खुद की छवि एक 'देशभक्त', 'राष्ट्रवादी' और 'धार्मिक' व्यक्ति के रूप में बनाई है। कयास है कि इसके जरिये भारत सरकार को घेरने की कोशिश जा रही है। कुछ विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि भारत के ब्रिक्स व रूस-चीन वाले ध्रुव की ओर झुकाव के चलते दबाव बनाने हेतु इस मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर सहमति न बन पाने से अमेरिका क्षुब्ध है। जिसके लिये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सर्वविदित है कि दुनिया भर में सत्ताएं बनाने व सरकार गिराने के खेल में अमेरिका किस हद तक जाता है। उसे पूरी दुनिया में सत्ता की शतरंज खेलने में 'डीप स्टेट' के इस्तेमाल का जनक माना जाता है। सवाल है कि भारतीय संसद व मुंबई पर हुए भीषण आतंकवादी हमलों में शामिल पाक आतंकवादियों व मास्टर माइंडों पर क्या ऐसे कार्रवाई हुई है? जबकि कई मास्टरमाइंड अमेरिका में रह रहे हैं? क्या ऐसी कार्रवाई पाक सरकार समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के खिलाफ हुई, जब पहलगाम की बैसरन घाटी में बेकसूर 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या उनका धर्म पूछकर की गई थी? निस्संदेह, हत्या-फिरौती और नशे की तस्करी में लिप्त किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये देश की संप्रभु सरकार का भी प्राथमिक कर्तव्य है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई 2015 से भारतीय जेल में है और उसके खिलाफ देश में कई केस चल रहे हैं। वहीं गोल्डी बराड़ देश से फरार है। विसंगति देखिए कि अमेरिकी आरोप पत्र में नाबालिगों की भर्ती, गुर्गों का नेटवर्क चलाने के साथ देशभक्त इमेज के आरोप भी शामिल हैं।

India-Australia के बीच जो समझौते हुए हैं उससे रक्षा-सुरक्षा का पूरा परिदृश्य ही बदल जायेगा

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सामने आई उनकी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की आत्मीयता से भरी तस्वीरें केवल दो नेताओं की व्यक्तिगत मित्रता का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि दोनों देशों के लगातार मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का सशक्त संदेश भी थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में द्विपक्षीय साझेदारी की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने संबंधी कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया। मोदी और अल्बनीज की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने सुरक्षा पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त घोषणा, ऊर्जा संबंधों पर संयुक्त बयान और साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के लिए एक खाका जारी किया। हम आपको बता दें कि असैन्य परमाणु ऊर्जा से जुड़े समझौते के जरिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक आपूर्ति का रास्ता खुलेगा। इससे भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को मदद मिलेगी। साथ ही दोनों पक्षों ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते पर भी तेजी से काम करने का निर्णय लिया। दोनों पक्ष महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर भी मिलकर काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने बढ़ते सहयोग का उल्लेख करते हुए स्वतंत्र एवं स्थिर हिंद-प्रशांत के महत्व पर जोर दिया। हम आपको बता दें कि रक्षा संबंधों को मजबूत करने की ये नयी पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपनी सैन्य ताकत दिखाए जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है।

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सामने आई उनकी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की आत्मीयता से भरी तस्वीरें केवल दो नेताओं की व्यक्तिगत मित्रता का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि दोनों देशों के लगातार मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का सशक्त संदेश भी थीं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री सहित ऑस्ट्रेलिया के अनेक वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों से प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकातों ने यह भी साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी स्वीकार्यता और प्रभाव लगातार

बढ़ा है। देखा जाये तो मोदी और अल्बनीज के बीच विकसित हुई यह मजबूत व्यक्तिगत समझ अब दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी नई ऊर्जा और नई गति दे रही है। इसी भरोसे और राजनीतिक सामंजस्य का परिणाम यह रहा कि मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने ऐसे ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगाई, जिन्होंने विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा सहयोग को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नई संयुक्त रक्षा और सुरक्षा घोषणा के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और शक्ति संतुलन के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगियों के रूप में उभर रहे हैं।

देखा जाये तो नई रक्षा और सुरक्षा घोषणा बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा रणनीतिक सोच का स्पष्ट संकेत है। इसके तहत दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, संयुक्त सैन्य अभ्यासों की जटिलता और आवृत्ति बढ़ाने, सूचनाओं के आदान प्रदान, सैन्य क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योगों के एकीकरण, रक्षा अनुसंधान, आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई गति देने पर सहमति बनाई है। यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अब दीर्घकालिक सामरिक साझेदार बन चुके हैं।

दोनों देशों के बीच विशेष महत्व का विषय समुद्री सुरक्षा सहयोग है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग रूपरेखा को अंतिम रूप देकर हिंद महासागर और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा निगरानी, परिचालन समन्वय, क्षमता निर्माण और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा कमान के बीच हुए समझौते से समुद्री कानून प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा तथा समुद्री अपराधों पर संयुक्त कार्रवाई को नई मजबूती मिलेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है।

रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई रक्षा महाविद्यालय में भारतीय सैन्य प्रशिक्षक की नियुक्ति का निर्णय है। यह केवल प्रशिक्षण का विषय नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच दीर्घकालिक विश्वास, पेशेवर सामंजस्य और रणनीतिक समझ को और गहरा करने वाला कदम माना जा रहा है। साथ ही रक्षा विज्ञान, रक्षा नवाचार, स्टार्टअप, रक्षा सामग्री तथा सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग का विस्तार दोनों देशों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाएगा।

इस यात्रा की दूसरी बड़ी उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा और असैनिक परमाणु सहयोग को नई गति देना रही। दोनों देशों ने वर्ष 2014 के असैनिक परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू करने की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। इसके बाद शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा इस बात का संकेत है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को साझा रणनीति के साथ पूरा करना चाहते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन, हरित ऊर्जा और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने पर दोनों देशों की सहमति भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने नई साझेदारी की शुरुआत की है। नई साझेदारी के पांच प्रमुख स्तंभों में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मजबूती और रक्षा अनुसंधान को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य केवल दोनों देशों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल व्यवस्था का निर्माण भी है। इससे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर भी सहमति जताई। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, खनन, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, विमानन और आधुनिक उद्योगों में व्यापक अवसरों का उल्लेख किया। दोनों देशों ने माना कि भारत की विशाल बाजार क्षमता और ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नई संभावनाएं पैदा कर सकती हैं।

शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बेंगलुरु में फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम में विक्टोरिया विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया को स्वीकृति मिली। भुवनेश्वर में खनन और खनन उपकरण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, पारंपरिक ज्ञान, फिल्म निर्माण, विश्वविद्यालय सहयोग तथा कौशल विकास से जुड़े अनेक समझौते दोनों देशों के बीच जन संपर्क को और मजबूत करेंगे। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तमिलनाडु से संबंधित तीन प्राचीन भारतीय धरोहरों की स्वैच्छिक वापसी पर सहमति दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है। भारतीय प्रवासी समुदाय को दोनों देशों के संबंधों का जीवंत सेतु बताते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने लोगों के बीच बढ़ते संपर्क को साझेदारी की सबसे बड़ी शक्ति बताया।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह पूरी यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा प्रभाव हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, समुद्री संतुलन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आतंकवाद विरोधी सहयोग, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति पर पड़ेगा।

प्रेरणा

राजमुकुट से रिश्तों तक: हजरत इब्राहिम अदहम ने बताया क्यों प्रेम की दौलत सबसे बड़ी है

इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की महानता उसके सिंहासन, संपत्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, त्याग और करुणा से मापी जाती है। ऐसे लोगों ने दुनिया को यह समझाया कि बाहरी वैभव जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही क्षणभंगुर भी होता है। इसके विपरीत आत्मिक संतोष, निस्वार्थ प्रेम और सेवा की भावना मनुष्य को ऐसा सुख प्रदान करती है जो किसी भी राजसी वैभव से कहीं अधिक स्थायी होता है। बलख के प्रसिद्ध शासक हजरत इब्राहिम अदहम का जीवन इसी अमूल्य सत्य का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने राजसिंहासन छोड़कर फकीरी को अपनाया और अपने आचरण से संसार को सिखाया कि सच्ची अमीरी खजानों में नहीं, बल्कि दिलों में बसती है।

बलख का राज्य उस समय समृद्धि और वैभव के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। उसके शासक इब्राहिम अदहम के पास शक्ति, प्रतिष्ठा और धन की कोई कमी नहीं थी। उनके महल विलासिता से भरे हुए थे, दरबार में विद्वानों और योद्धाओं का जमावड़ा लगा रहता था तथा उनके आदेश पर हजारों सैनिक हर समय तैयार रहते थे। देखने वालों को लगता था कि ऐसा जीवन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जो आंखें केवल बाहरी चमक देख रही थीं, वे उनके मन की बेचैनी को नहीं समझ पा रही थीं। राजमहल के बीच रहते हुए भी उन्हें बार-बार यह अनुभव होने लगा था कि जिस सुख की खोज में मनुष्य जीवन बिताता है, वह केवल धन और सत्ता से प्राप्त नहीं हो सकता।

धीरे-धीरे उनके भीतर आध्यात्मिक जागृति का प्रकाश फैलने लगा। उन्होंने अपने जीवन का गंभीरता से चिंतन किया और यह महसूस किया कि राजा बनने के बाद भी उनके मन में शांति का अभाव है। उन्हें यह भी समझ में आया कि राजदरबार में आने वाले अधिकांश लोग सम्मान से अधिक स्वार्थ लेकर आते हैं। जो व्यक्ति आज प्रशंसा करता है, वही परिस्थिति बदलने पर आलोचना भी करने लगता है। संसार का यह व्यवहार उन्हें भीतर तक सोचने पर मजबूर करने लगा।

अंततः उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे राज्य को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, महलों का मोह त्याग दिया और साधारण फकीर का जीवन अपना लिया। अब उनका लक्ष्य केवल ईश्वर का स्मरण, मानव सेवा और आत्मिक उन्नति रह गया। वे जहां भी जाते, लोगों को प्रेम, दया, विनम्रता और संतोष का संदेश देते। समय बीतने के साथ उनका नाम एक संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें श्रद्धा से 'हजरत' कहकर संबोधित करने लगे।

एक दिन वे नदी के किनारे बैठे अपनी पुरानी गुदड़ी की सिलाई कर रहे थे। उनके पास कोई शाही वस्त्र नहीं था, केवल एक साधारण कपड़ा, एक सूई और धागा था। उसी समय कुछ लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति लंबे समय से उनके त्याग का कारण जानना चाहता था। उसने आदरपूर्वक पूछा, "हजरत, आपने ऐसी कौन-सी खुशी फकीरी में देखी कि आपने पूरी बादशाहत छोड़ दी? क्या वास्तव में यह जीवन राजमहलों से अधिक सुखद है?" हजरत ने उसकी ओर स्नेहभरी दृष्टि से देखा, लेकिन उत्तर देने के बजाय अपने हाथ की सूई नदी में फेंक दी। वहां उपस्थित लोग चौंक उठे। उन्हें लगा कि शायद यह भूल से हुआ होगा। लेकिन हजरत शांत भाव से नदी की ओर मुड़े और बोले, "हे नदी की प्यारी मछलियों, मेरी सूई पानी में गिर गई है। यदि तुम्हें उचित लगे तो कृपया उसे मुझे वापस ला दो।"

उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि कुछ ही क्षणों में नदी का दृश्य बदल गया। जल की सतह पर अनगिनत मछलियां दिखाई देने लगीं। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक मछली अपने मुंह में एक-एक सूई लेकर आई थी। वहां खड़े लोगों के लिए यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे विस्मय से एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे। हजरत ने मुस्कुराकर कहा, "मुझे इतनी सारी सूइयों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल वही सूई चाहिए जो मेरी थी।" यह सुनते ही एक छोटी-सी सुनहरी मछली तुरंत गहरे पानी में चली गई। कुछ क्षण बाद वह लौटकर आई और अपने मुंह में वही सूई लेकर आई जो हजरत की थी। उसने बड़ी सहजता से वह सूई उनके सामने रख दी। अब वहां उपस्थित सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। तभी हजरत ने शांत स्वर में कहा, "अब तुम स्वयं बताओ कि कौन अधिक समृद्ध है। वह राजा जिसके चारों ओर केवल स्वार्थी लोग रहते थे, या यह फकीर जिसे प्रकृति के जीव भी अपना मानते हैं? बादशाहत में लोगों का प्रेम मेरे पद से जुड़ा था, लेकिन फकीरी में मिलने वाला स्नेह किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है।"

यह उत्तर सुनकर सभी लोगों के मन का भ्रम दूर हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि हजरत का संदेश किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाना था। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देता है और प्रेम को जीवन का आधार बना लेता है, तब उसका संबंध केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि से जुड़ जाता है।

यह कथा हमें बताती है कि सच्चे संबंध कभी पद और प्रतिष्ठा पर नहीं टिकते। जो मित्र केवल हमारे धन, शक्ति या प्रभाव के कारण हमारे साथ हैं, वे परिस्थितियां बदलते ही दूर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग हमारे चरित्र, व्यवहार और प्रेम से जुड़े होते हैं, उनका साथ जीवनभर बना रहता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों के जाने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद करते हैं, जबकि अनेक शक्तिशाली राजा समय के साथ इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं।

आज का समाज भी इसी परीक्षा से गुजर रहा है। लोग अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संतोष उनसे दूर होता जा रहा है। रिश्तों में विश्वास कम हो रहा है और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियां बढ़ने के बावजूद मन की शांति कम होती दिखाई देती है। इसका कारण यही है कि हमने साधनों को लक्ष्य बना लिया है और जीवन के मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है।

हजरत इब्राहिम अदहम का जीवन हमें याद दिलाता है कि त्याग का अर्थ केवल राजपाट छोड़ना नहीं होता। वास्तविक त्याग अपने भीतर के लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ को छोड़ने का नाम है। यदि मनुष्य अपने व्यवहार में विनम्रता, करुणा और सेवा को स्थान दे दे, तो वह बिना फकीर बने भी फकीरी का आनंद प्राप्त कर सकता है।

उनकी शिक्षा यह भी बताती है कि प्रेम की भाषा हर जीव समझता है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से सच्चे संबंधों की शुरुआत होती है। मनुष्य यदि प्रकृति, पशु-पक्षियों और समाज के प्रति संवेदनशील हो जाए तो उसका जीवन स्वयं आनंद का स्रोत बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान मांगना नहीं पड़ता, बल्कि सम्मान स्वयं उसके पास चला आता है।

शरीयत नहीं, संविधान चलेगा... 15 साल की मुस्लिम बच्चियों को 'शादी लायक' बताने वालों को Allahabad High Court कोर्ट ने सुनाई खरी खरी

देश के संविधान से ज्यादा शरीयत को तवज्जो देने वाले और पंद्रह साल की उम्र की लड़की के विवाह को जायज मानने की सोच रखने वालों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करारा झटका दिया है। अदालत ने साफ और सख्त शब्दों में कहा है कि देश में विवाह की कानूनी आयु सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी और किसी भी धर्म का पसर्नल लॉ उससे ऊपर नहीं हो सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पसर्नल लॉ में यौवन प्राप्ति को विवाह की आयु मानने का प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। अदालत ने दो टूक कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े ये कानून राष्ट्रीय नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक समझ पर आधारित हैं, इसलिए इनके सामने किसी भी व्यक्तिगत कानून का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने एक जुलाई को यह महत्वपूर्ण टिप्पणी बुलंदशहर में दर्ज एक प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए की। यह याचिका रूबी समेत उन्नीस लोगों की ओर से दाखिल की गई थी। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने सोलह वर्ष की एक मुस्लिम किशोरी का विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और बाल सहायता दल पर हमला किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली और किशोरी को जबरन वहां से ले जाने का प्रयास किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि मुस्लिम शरीयत कानून के अनुसार यौवन प्राप्त करने के बाद, जिसे सामान्य रूप से पंद्रह वर्ष की आयु माना जाता है, लड़की विवाह के लिए सक्षम हो जाती है। उनका कहना था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत विवाह कानून को प्रभावित नहीं करता। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का ऐसा प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम से स्पष्ट रूप से असंगत है। अदालत ने कहा कि यदि अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों का विवाह स्वीकार कर लिया जाए तो इससे बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्वाभाविक रूप से शारीरिक संबंधों से जुड़े होते हैं। ऐसे में बाल विवाह को वैध मानना बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून को निष्प्रभावी कर देगा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि यद्यपि इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की अलग अलग राय रही है, लेकिन वह केरल उच्च न्यायालय की उस व्याख्या से पूरी तरह सहमत है जिसमें कहा गया है कि कोई भी पसर्नल लॉ बाल विवाह पर रोक लगाने वाले वैधानिक कानूनों को निरस्त नहीं कर सकता।

मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि किशोरी के माता पिता और समुदाय के कुछ लोगों ने कानून का उल्लंघन करते हुए उसका विवाह कराने का सुनियोजित प्रयास किया था। न्यायालय ने पुलिस और बाल सहायता दल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समय रहते हस्तक्षेप कर बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत संभावित अपराध को होने से रोका। अदालत ने कहा कि बचाव दल पूरी निष्ठा से अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा था, लेकिन आरोपितों ने उनके साथ अभद्रता की, धमकियां दीं और सरकारी कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न की। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने समेत अन्य गंभीर अपराध बनते हैं और इनकी गहन जांच आवश्यक है। इसी आधार पर न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया।

इस फैसले के बाद विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि मुसलमानों को देश के कानून का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि समाज में किशोर किशोरियों के बीच बढ़ते शारीरिक संबंधों की प्रवृत्ति और सामाजिक नैतिकता की रक्षा के मद्देनजर विवाह की कानूनी आयु पर पुनर्विचार किया जाए।

वहीं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील दिशा निर्देश बताया। संगठन की संस्थापक जाकिया सोमन ने कहा कि मुस्लिम पारिवारिक कानून का स्पष्ट संहिताकरण नहीं होने के कारण समय के साथ कई ऐसी परंपराएं विकसित हो गई हैं जो कुरआन के मूल सिद्धांतों और मूल्यों से मेल नहीं खातीं। उन्होंने विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में स्पष्ट और एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग दोहराई।

सामाजिक शोध केंद्र की निदेशक और महिला शक्ति संपर्क की अध्यक्ष रंजना कुमारी ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न धर्मों के अनेक व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिला अधिकार कार्यकर्ता यह मांग करते रहे हैं कि देश का समान कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। बहरहाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला केवल एक आपराधिक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों की सुरक्षा और बाल विवाह पर रोक से जुड़े कानून किसी भी धार्मिक परंपरा या व्यक्तिगत कानून से ऊपर हैं।

अभियान

कबीर का प्रकाश: जिसने सादगी को दर्शन और मानवता को सबसे बड़ा धर्म बना दिया

भारतीय संत परंपरा का इतिहास केवल आध्यात्मिक साधना का इतिहास नहीं है, बल्कि वह सामाजिक चेतना, मानवीय मूल्यों और सत्य की निर्भीक अभिव्यक्ति का भी इतिहास है। इस परंपरा में अनेक संतों ने अपने ज्ञान, तप और भक्ति से समाज को नई दिशा दी, लेकिन संत कबीरदास का स्थान अत्यंत विशिष्ट और अद्वितीय है। उन्होंने न केवल ईश्वर की खोज का नया मार्ग दिखाया, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का ऐसा संदेश दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना लगभग छह सौ वर्ष पहले था। कबीर ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि महान बनने के लिए बड़े महलों, ऊंचे पदों या शास्त्रों के विशाल ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन निर्मल हो, विचार सत्य पर आधारित हों और जीवन में सादगी हो, तो साधारण व्यक्ति भी युगों का पथप्रदर्शक बन सकता है।

भारत की पावन धरती ने अनेक ऋषि, मुनि, संत और महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने चिंतन से मानव सभ्यता को समृद्ध किया। इन्हीं महान विभूतियों में संत कबीरदास ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं, जिन्होंने मध्यकालीन समाज के अंधकार में विवेक, प्रेम और समानता का दीप जलाया। वह समय धार्मिक कट्टरता, सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव और कर्मकांडों से भरा हुआ था। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना था, लेकिन धर्म के नाम पर समाज अनेक वर्गों में विभाजित हो चुका था। ऐसे दौर में कबीर ने बिना किसी भय और स्वार्थ के सच्चाई को सामने रखा। उन्होंने किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय का पक्ष लेने के बजाय मानवता को अपना धर्म माना और हर उस विचार का विरोध किया जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करता था।

कबीरदास के जन्म को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं, किंतु कबीर पंथ की मान्यता के अनुसार उनका प्राकट्य विक्रम संवत 1455 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को काशी में हुआ। यह भी माना जाता है कि उनका पालन-पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और विचारों से प्राप्त होती है। उन्होंने वैष्णव संत स्वामी रामानंद से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की और उसी आधार पर भक्ति को ज्ञान, अनुभव और आचरण से जोड़ने का कार्य किया। उनके लिए गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह आत्मा को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने वाला प्रकाश था। इसलिए उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हुए कहा कि गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य तक पहुंच सकता है।

कबीर का संपूर्ण जीवन रहस्य और प्रेरणा से भरा हुआ है। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। वे स्वयं को साधारण व्यक्ति मानते थे। उन्होंने बार-बार कहा कि उन्होंने न कागज छुआ, न कलम पकड़ी, लेकिन जीवन का जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, वही उनके शब्दों में झलकता है। उनकी वाणी पुस्तकों के पन्नों से नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों और आत्मानुभूति से निकली थी। यही कारण है कि उनके दोहे और साखियां आज भी सामान्य व्यक्ति से लेकर विद्वानों तक सभी के लिए समान रूप से प्रेरणास्रोत हैं।

उनकी सादगी केवल पहनावे या रहन-सहन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। वे साधारण झोपड़ी में रहते थे, श्रम करके अपना जीवनयापन करते थे और ईमानदारी से अर्जित भोजन को ही सबसे बड़ा प्रसाद मानते थे। उनके लिए मेहनत पूजा थी और आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ा आभूषण। उन्होंने कभी भी भक्ति को कर्म से अलग नहीं माना। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता।

कबीरदास के जीवन से जुड़ा एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग उनकी सादगी और व्यापक दृष्टि को उजागर करता है। कहा जाता है कि एक बार संत तुलसीदास उनसे मिलने उस स्थान पर पहुंचे जहां कबीर अपनी छोटी-सी झोपड़ी में रहते थे। वहां तक पहुंचने वाले मार्ग के दोनों ओर कसाइयों की दुकानें थीं। तुलसीदास ने आश्चर्य से पूछा कि इतने महान संत होकर भी वे ऐसे स्थान पर क्यों रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कबीर ने अपने व्यवहार और विचारों से दिया। उनके लिए स्थान की पवित्रता बाहरी वातावरण से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले व्यक्ति के आचरण से तय होती थी। यदि मन निर्मल है, तो संसार का कोई भी स्थान साधना का केंद्र बन सकता है। यह उत्तर केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देता है कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का आंतरिक चरित्र होता है।

कबीर ने अपने समय की सामाजिक बुराइयों पर खुलकर प्रहार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को मानवता के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना। उनका स्पष्ट मत था कि जन्म के आधार पर किसी मनुष्य को श्रेष्ठ या हीन नहीं कहा जा सकता। यदि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, तो मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच कृत्रिम भेदभाव का विरोध किया और कहा कि सभी मनुष्यों के शरीर का निर्माण एक ही प्रकार से हुआ है। रक्त का रंग सभी का एक समान है, इसलिए ऊंच-नीच का अहंकार केवल अज्ञान का परिणाम है।

उनकी दृष्टि केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कट्टरता और बाहरी आडंबरों की भी उतनी ही स्पष्ट आलोचना की। उनके लिए मंदिर और मस्जिद दोनों तभी सार्थक थे जब वहां जाने वाला व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का भाव लेकर जाए। यदि मन में घृणा, हिंसा और अहंकार है, तो पूजा और इबादत केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। कबीर ने बार-बार कहा कि ईश्वर किसी विशेष भवन में नहीं रहता, बल्कि वह हर जीव के हृदय में विद्यमान है।

उनकी वाणी में समाज सुधार का अद्भुत साहस दिखाई देता है। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और कर्मकांडों का तीखा विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जागरूक बनाना है, भयभीत करना नहीं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आंख मूंदकर किसी परंपरा का पालन न करें, बल्कि विवेक के आधार पर सत्य और असत्य का निर्णय करें। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं किसी एक युग तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि हर काल में प्रासंगिक बनी रहीं।

कबीरदास ने नैतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन का आधार माना। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उनका कहना था कि जब तक मनुष्य इन विकारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता। इसके विपरीत उन्होंने प्रेम, दया, सत्य, सेवा, क्षमा, विनम्रता और परोपकार को जीवन का वास्तविक धन बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता है, वही वास्तव में ईश्वर की पूजा करता है। कबीर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने धर्म को व्यवहार से जोड़ा। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि स्वयं वैसा जीवन जीकर दिखाया। वे श्रम करते थे, सादगी से रहते थे और अपने विचारों पर अडिग रहते थे। उन्होंने कभी सत्ता या समाज के दबाव के आगे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि उनके विरोधी भी उनके साहस का सम्मान करते थे।

उनके देहावसान से जुड़ी कथा भी उनकी शिक्षाओं की तरह अत्यंत प्रेरक मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके निधन के बाद हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। जब उनके शरीर से कफन हटाया गया तो वहां शरीर के स्थान पर केवल पुष्प मिले। दोनों समुदायों ने उन पुष्पों को बांट लिया और अपने-अपने रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। यह घटना प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देती है कि कबीर किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं थे। उनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित था।

आज जब दुनिया धर्म, जाति, भाषा और विचारधाराओं के नाम पर बार-बार विभाजित होती दिखाई देती है, तब कबीर की वाणी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठती है। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले जो संदेश दिया था, वही आज वैश्विक समाज की आवश्यकता बन गया है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस : भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में गुजरात का योगदान 17.82%, स्थापित क्षमता 50.386 गीगावाट तक पहुंची

▸▸ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात देश का अग्रणी राज्य, कुल स्थापित क्षमता में 15,850.56 मेगावाट पवन ऊर्जा और 32,302.7 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल

▸▸ रूफटॉप सोलर में भी राज्य का दबदबा, 13.45 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन के जरिए 7408.10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है

▸▸ स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में गुजरात देश में अव्वल, जबकि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में दूसरे नंबर पर

▸▸ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास से अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार का सृजन

गांधीनगर : हर साल 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे यानी 'वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित भविष्य का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, परंपरागत ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक तक देश की 50 फीसदी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने का संकल्प भी किया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात पवन, सौर और रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 50.386 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक 17.82 फीसदी के योगदान को दिखाती है। गुजरात कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता (15,850.56 मेगावाट) के मामले में भी देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा, राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता (32,302.7 मेगावाट) में दूसरे स्थान पर है। वहीं, 13.45 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एवं 7408.10 मेगावाट क्षमता के साथ रूफटॉप सोलर क्षेत्र में भी देश में पहले नंबर पर है।

गुजरात 32,302.7 मेगावाट क्षमता के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में बना अग्रणी राज्य

गुजरात सौर ऊर्जा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मई 2026 तक राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 32,302.7 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसमें 23,259.27 मेगावाट ग्राउंड-माउंटेड प्रोजेक्ट्स, 7408.10 मेगावाट रूफटॉप सोलर, 1434.66 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स तथा 200.48 मेगावाट ऑफ-ग्रिड सिस्टम्स (पीएम-कुसुम योजना सहित) शामिल हैं।

राज्य के प्रमुख सोलर पार्कों में चारणका (749 मेगावाट), राधानेसड़ा (700 मेगावाट) और धोलेरा (300 मेगावाट) शामिल हैं। उधर, कच्छ का खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 37.35 गीगावाट की नियोजित क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, जहां मई 2026 तक 15.54 गीगावाट क्षमता हासिल कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2016 से आवासीय रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। पीएम सूर्य घर योजना शुरू होने के बाद भी इन प्रयासों को जारी रखा गया है। नतीजतन, राज्य में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं, और देश के कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात का योगदान 21 फीसदी से अधिक रहा है। कृषि क्षेत्र में भी पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के अंतर्गत मई 2026 तक 22,792 स्वतंत्र ऑफ-ग्रिड सोलर वाटर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 162.62 मेगावाट है।

गुजरात 15,850.56 मेगावाट क्षमता के साथ पवन ऊर्जा में नंबर वन

देश की पहली विंड पावर पॉलिसी घोषित करने वाला गुजरात पवन ऊर्जा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। मई 2026 तक राज्य की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 15,850.56 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें कच्छ का योगदान सर्वाधिक 8191.42 मेगावाट है। इसके अलावा, जामनगर (1986.15 मेगावाट), देवभूमि द्वारका (1343.24 मेगावाट), अमरेली (992.90 मेगावाट), राजकोट (869.60 मेगावाट), भावनगर (626.20 मेगावाट), मोरबी (612.10 मेगावाट), सुरेन्द्रनगर (500.60 मेगावाट) और पाटण (208.20 मेगावाट) जिलों का भी उल्लेखनीय योगदान है।

राज्य ने 2018 की हाइब्रिड पॉलिसी और गुजरात आरई पॉलिसी 2023 के तहत 2838.07 मेगावाट के विंड-सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए 80 फीसदी से अधिक टर्बाइन सरकार की ओर से आवंटित भूमि पर स्थापित किए गए हैं। गुजरात सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल 'अक्षय ऊर्जा सेतु' के माध्यम से ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए एक पारदर्शी और आसान व्यवस्था बनाई है, जिसके कारण प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को गति मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास से राज्य में अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है।

सुदृढ़ नीतियों से गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को मिली गति

गुजरात आज नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया है, जिसमें राज्य सरकार की सुदृढ़ नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1993 में देश की पहली विंड पावर पॉलिसी घोषित करने के बाद गुजरात ने सौर ऊर्जा नीति (2009, 2015 और 2021), वेस्ट-टू-एनर्जी और स्मॉल हाइडल नीति (2016) तथा विंड-सोलर हाइब्रिड पॉलिसी (2018) सहित अनेक महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं।

वर्ष 2022 की संशोधित वेस्ट-टू-एनर्जी नीति और 24 दिसंबर, 2025 से 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहने वाली गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2025 के जरिए सौर, पवन, हाइब्रिड, विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के लिए एकीकृत नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2023 की नीति के जरिए क्षमता की सीमा को हटाकर सभी प्रकार की परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है।

इसके अलावा, 2025 की नीति में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को गति देने, ग्रिड कनेक्टिविटी को आसान बनाने, पुराने पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की रीपावरिंग, बैटरी स्टोरेज के एकीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवीकरणीय ऊर्जा के कुल उत्पादन और रिसाइक्लिंग, ग्रुप और वर्चुअल नेट मीटरिंग, कृषि और रूफटॉप सोलर सहित ग्रीन जॉब्स और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य की ओर गुजरात के बढ़ते कदम

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। राज्य में मई 2026 तक कुल 1531 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं पर काम चल रहा है। जिनमें 1320 सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स (3.377 गीगावाट), 115 पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स (3.913 गीगावाट) और 96 हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स (4.869 गीगावाट) शामिल हैं। गांधीनगर में आयोजित आरई-इन्वेस्ट 2024 के दौरान गुजरात ने वर्ष 2030 तक 105 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य में लगभग 20 फीसदी का योगदान देगा।

पश्चिम रेलवे वसई रोड के रास्ते,वलसाड वेलांकन्नि डहाणू रोड के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से वलसाड – वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09030/09029 वलसाड – वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्पेशल वाया वसई रोड [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09030 वलसाड–वेलांकन्नि स्पेशल वलसाड से मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को 18.25 बजे प्रस्थान करेगी तथा गुरुवार को 10.00 बजे वेलांकन्नि पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09029 वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्पेशल वेलांकन्नि से शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को 00.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 14.50 बजे डहाणू रोड पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में पालघर, वसई रोड, पनवेल, लोनावला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुर्गि, वाडी, यादगिर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, आदोनि, गुंतकल, गुत्ती, ताडिपत्रि, यर्रगुंटला, कड़पा, राजमपेटा, रेणिगुंटा, काटपाडी, वेलूर छावनी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम, तिरुप्पादिरिप्पुलियूर, चिदम्बरम, मइलाडुतुरै, तिरुवल्लूर, कारैक्काल, नागूर और नागप्पट्टिनम स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09030 का डहाणू रोड स्टेशन पर एक अतिरिक्त ठहराव होगा। इस ट्रेन में एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09030 की बुकिंग 10.07.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

वन विभाग की नर्सरियों से पौधे चाहिए ? सिर्फ एक कॉल करें और लिंक मिलते ही सभी नर्सरियों की जानकारियाँ मिल जाएंगी

▸▸ आप पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात वन विभाग की निकटस्थ नर्सरी खोजने में कठिनाई हो रही है ? तो अब इसका एक आसान उपाय है। बस, 8320002000 मोबाइल नंबर पर डायल करें। यह कॉल अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक के साथ एसएमएस आएगा। यह लिंक खोलने पर वन विभाग की सभी नर्सरियों की जानकारी मिल जाएगी

▸▸ "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समग्र गुजरात में लोग पेड़-पौधे लगाकर राज्य को हरित बनाएँ; इसके लिए वन विभाग प्रतिबद्ध है। नागरिकों को उनके आसपास स्थित वन विभाग की नर्सरियों से आसानी से पौधे मिल सकें; इसके लिए सरल व्यवस्था की गई है। वन विभाग के सामाजिक वनीकरण विंग द्वारा 11.80 करोड़ पौधे नागरिकों को देने के लिए तैयार किए गए हैं" : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

गांधीनगर : आप पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात वन विभाग की निकटस्थ नर्सरी खोजने में कठिनाई हो रही है ? तो अब इसका एक आसान उपाय है। बस, 8320002000 मोबाइल नंबर पर डायल करें। यह कॉल अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक के साथ एसएमएस आएगा। इस लिंक को खोलने पर आपके क्षेत्र के वन विभाग के सामाजिक वनीकरण विभाग की नर्सरी की संपर्क जानकारी, गूगल मैप पर उसका स्थान तथा संबंधित वन अधिकारियों के मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारी मिल जाएगी। इस व्यवस्था के कारण लोगों को वन विभाग की नर्सरियों से पौधे प्राप्त करने में सरलता रहेगी।

इसके अलावा; यदि आप 8320002000 पर 'Hi' लिखकर एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे, तो भी आपको एक वेब लिंक वाला एसएमएस मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने से एक मेन्यू खुलेगा, जिसमें गुजरात वन विभाग की सभी नर्सरियों, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स (आरएफओ), इको-टूरिज्म साइट्स तथा वन से संबंधित अन्य सेवाओं की संपर्क जानकारी सहित अनेक विकल्प मिलेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन भागीदारी द्वारा देश के ग्रीन कवर का विस्तार बढ़ाने के लिए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया है और गुजरात ने उनके इस आह्वान को स्वीकार कर लिया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समग्र गुजरात को अधिक हरित बनाने के अभियान में हजारों लोग जुड़ें और वृक्षारोपण के लिए नागरिकों को उनके आसपास की वन विभाग की नर्सरियों से पौधे आसानी से मिल सकें; इसके लिए सुंदर व्यवस्था की गई है। इस वर्ष वन विभाग की सामाजिक वनीकरण विंग द्वारा 11.80 करोड़ पौधे नागरिकों में वितरण के लिए तैयार किए गए हैं।"

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी ने कहा, "वन विभाग की इस नागरिक-केन्द्रित पहल अंतर्गत गुजरात वन विभाग ने एक इन-हाउस डिजिटल हेल्पलाइन सिस्टम शुरू किया है, जो राज्यभर के लोगों को सहायता तथा शिकायतों के निवारण के लिए उचित वन अधिकारियों से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रहा है।" वन विभाग की इस डिजिटल सेवा को जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और विभाग को प्रतिदिन लगभग 30 से 40 कॉल प्राप्त हो रहे हैं। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (रिसर्च एंड ट्रेनिंग) एस. के. श्रीवास्तव ने कहा, "इस पहल की मुख्य विशेषता इसका डायनेमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को आवश्यकताओं के अनुसार तेजी से बदला और अपडेट किया जा सकता है।"

वन विभाग की नर्सरियों से ऐसे प्राप्त करें पौधे

आर. के. सुगूर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (सोशल फॉरेस्ट्री) ने कहा, "नागरिक वन विभाग की किसी भी नर्सरी से पौधों के आकार के आधार पर 5 से 15 रुपए तक की मामूली कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे खरीद सकते हैं। समग्र राज्य में वन विभाग की कुल 453 नर्सरियां स्थित हैं। 15 × 25 सेंटीमीटर या 10 × 20 सेंटीमीटर आकार की पॉलीबैग में लगाए गए पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। जो नागरिक निःशुल्क या रियायती दर पर पौधे प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने जिले के संबंधित रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) अथवा डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (डीसीएफ) से संपर्क कर सकते हैं।"

वन्यजीवों के रेस्क्यू के अनुरोध के लिए 1926 हेल्पलाइन डायल करें

वन विभाग से संबंधित कोई शिकायत हो या अधिक सहायता की आवश्यकता हो; ऐसे मामलों में नागरिक वन विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1926 पर संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर भी प्रतिदिन लगभग 30 से 40 कॉल प्राप्त होते हैं। यह संपूर्ण सिस्टम वन विभाग द्वारा इन-हाउस (स्वयं के तरीके से) विकसित किया गया है और इसका संचालन भी वही कर रहा है। यह बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विभाग के जोर को दर्शाता है। यह पहल वन विभाग से सहायता मांगने वाले नागरिकों के लिए आशीर्वाद समान है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद के नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय का लोकार्पण किया

आधुनिक आरटीओ सेवाओं से नागरिकों को पारदर्शी और तेज सुविधाएं मिलेंगी : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को अहमदाबाद में अत्याधुनिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को तकनीक आधारित, पारदर्शी और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। नए आरटीओ भवन में ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न सेवाएं और भी आसानी से उपलब्ध होंगी।

श्री संघवी ने कहा कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लाइसेंस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी और केवल योग्यता प्राप्त आवेदकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी सुविधाओं को अंतिम छोर के नागरिक तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का आपसी तालमेल से काम करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से नए आरटीओ कार्यालय

भवन को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना सभी नागरिकों का सामूहिक दायित्व है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार के बंदरगाह और परिवहन विभाग द्वारा अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज पर निर्मित यह आधुनिक आरटीओ कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

वाहनों के नॉन-ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कार्यों, नए वाहनों का पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, ब्लेकलिस्ट, लाइसेंस, डीएल/चालान शाखा, आर.एम.ए., एएमसी टैक्स तथा कैश शाखा सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग टेबलों के माध्यम से नागरिकों को आसान, तेज और सुव्यवस्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिससे विभिन्न सेवाएं एक ही स्थल पर अधिक आसान, तेज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, महापौर श्री हितेशभाई बारोट, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, विधायकगण सर्वश्री जितेन्द्रभाई पटेल (भगत), अमितभाई ठाकर, कौशिकभाई जैन, हर्षदभाई पटेल, डॉ. हसमुखभाई पटेल, बाबूभाई पटेल, बंदरगाह और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ल, परिवहन आयुक्त डॉ. राजेन्द्र कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कई अग्रणी और नगरजन मौजूद रहे।

गुजरात में किसानों का डेटा रहेगा 100 प्रतिशत सुरक्षित कृषि विभाग ने किया 'विभागीय डेटा समिति' का गठन

▸▸ केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तथा गुजरात स्टेट डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत डीडीसी का गठन

▸▸ किसानों की गोपनीय जानकारी रहेगी सुरक्षित, बिचौलियों और धोखाधड़ी पर लगेगा नियंत्रण

▸▸ लाभार्थी किसानों तक राज्य सरकार की सहायता अधिक तेजी से पहुंचेगी

गांधीनगर : डिजिटल इंडिया के संकल्प को गति देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि, किसान कल्याण तथा सहकारिता विभाग ने किसानों की जानकारी की सुरक्षा के लिए 'विभागीय डेटा समिति' (डीडीसी) का गठन किया है।

केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीडी एक्ट) की भावना के अनुसार राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों का व्यक्तिगत, वित्तीय तथा कृषि संबंधी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसका उपयोग नियमों के अनुसार तथा किसानों की सहमति से ही किया जाए। विभागीय डेटा समिति कृषि विभाग तथा उससे जुड़े बोर्ड-निगमों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के डेटा का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करेगी।

सिान हित को प्राथमिकता

डिजिटल युग में किसानों का डेटा भूमि और फसल जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि वह सुरक्षित रहेगा, तो योजनाओं का लाभ भी सही व्यक्ति तक पहुंचेगा तथा धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।

उच्च स्तरीय समिति निगरानी रखेगी

इस समिति का नेतृत्व कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिव करेंगे। समिति में विभागीय डेटा अधिकारी, सदस्य सचिव, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), उप निदेशक (आईटी), आईसीटी अधिकारी, विधिक अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ तथा विभाग के सभी बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को शामिल किया गया है।

डेटा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाएगा

कृषि विभाग के सभी डेटा सेट का ओपन, शेयरेबल, प्रतिबंधित, संवेदनशील तथा नेगेटिव लिस्ट; इन पांच श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। इससे मौसम, कृषि तकनीक, बाजार भाव जैसी सार्वजनिक उपयोग की जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी, जबकि किसानों की व्यक्तिगत, बैंकिंग तथा अन्य निजी जानकारी को संवेदनशील श्रेणी में रखकर पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा।

केंद्र सरकार के डीपीडीपी कानून का सख्त पालन किया जाएगा

समिति सुनिश्चित करेगी कि किसानों के डेटा का संग्रह, उपयोग तथा प्रसंस्करण पूरी तरह डीपीडीपी एक्ट तथा अन्य सरकारी नियमों के अनुसार किया जाए। इस व्यवस्था द्वारा किसानों की व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सकेगा तथा डेटा सुरक्षा को कानूनी संरक्षण मिलेगा।

किसानों की सहमति के बिना डेटा का उपयोग नहीं होगा

इस व्यवस्था में नागरिक सहमति (कंसेंट मैनेजमेंट) को विशेष महत्व दिया गया है। किसानों के डेटा के उपयोग के लिए उनकी सहमति का संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित, ऑडिटेबल तथा ट्रैकेबल रहेगा।

यदि किसी भी स्तर पर सहमति संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसकी तत्काल सूचना राज्य डेटा प्राधिकरण (स्टेट डेटा अथॉरिटी–एसडीए) को दी जाएगी।

डेटा ब्रीच पर तत्काल कार्यवाही

समिति किसानों के डेटा से संबंधित किसी भी सुरक्षा घटना अथवा डेटा ब्रीच पर सतत निगरानी रखी जाएगी । यदि किसी भी प्रकार का डेटा उल्लंघन होगा, तो उसकी तत्काल सूचना राज्य के मुख्य डेटा अधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को दी जाएगी, ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके। यह व्यवस्था किसानों की डिजिटल सुरक्षा को चौबीसों घंटे मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।

किसानों के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं बनेंगी

सुरक्षित एवं प्रमाणित डेटा उपलब्ध होने से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, इनोवेशन तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया को गति मिलेगी। परिणामस्वरूप किसान कल्याण योजनाएं अधिक प्रभावी, सटीक तथा वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनेंगी।

नई व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ होगा ?

▸▸ किसानों की व्यक्तिगत,बैंकिग तथा अन्य संवेदनशील जानकारी संपूर्णरुप से सुरक्षित रहेगी

▸▸ डेटा के दुरुपयोग, अनधिकृत प्रवेश तथा साइबर जोखिमों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी

▸▸ भविष्य की कृषि नीतियां एवं योजनाएं वास्तविक आंकड़ों तथा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाएंगी

▸▸ कृषि सब्सिडी, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा राहत तथा अन्य सरकारी सहायता का वितरण अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक होगा

▸▸ पात्र किसानों तक सीधे लाभ पंहुचेगा

स्मार्ट रेलवे की ओर बढ़ते कदम: कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रहा है भारतीय रेल का भविष्य

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज विश्वभर में कार्य करने के तरीकों को तेजी से बदल रही है। विपणन, डेटा विश्लेषण, खरीद प्रक्रिया से लेकर दैनिक संचालन तक लगभग हर क्षेत्र में AI का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित बनाकर, अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करके तथा त्वरित एवं सटीक विश्लेषण उपलब्ध कराकर AI संस्थाओं की कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्की में से एक भारतीय रेल भी AI के व्यापक उपयोग से अपनी परिचालन, अनुरक्षण तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। रेलवे में AI का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पूर्वानुमान आधारित अनुरक्षण (Predictive Maintenance) के क्षेत्र में हो सकता है। अत्याधुनिक सेंसर और AI तकनीक की सहायता से रेलवे पटरियों में आई दरारें, ट्रैक फिटिंग्स की कमी, पुलों की संरचनात्मक कमजोरियाँ, विशेषकर एप्रोच क्षेत्र की स्थिति तथा पटरियों या अंडरपास के आसपास बढ़ते जलस्तर जैसी संभावित समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है। इससे किसी भी बड़ी तकनीकी खराबी या दुर्घटना की संभावना को पहले ही कम किया जा सकता है। AI केवल दोषों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर अनुरक्षण कार्यों की बेहतर योजना बनाने, स्पेयर पार्ट्स एवं सामग्री के कुशल प्रबंधन, लागत नियंत्रण तथा समय पर आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे डिपो में निरीक्षण एवं अनुरक्षण में लगने वाला समय कम होगा, वैगनों और कोचों का टर्नअराउंड समय घटेगा तथा समय उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। AI रेलवे कर्मचारियों के लिए एक प्रभावी ज्ञान भंडार (Knowledge Repository) के रूप में भी कार्य कर सकता है। अनुरक्षण डिपो तथा ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी दोषों के समाधान, मानक प्रक्रियाओं तथा अधिकृत मैनुअलों के अनुरूप त्वरित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे निर्णय लेने की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी AI अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह लोको पायलटों को सबसे उपयुक्त थ्रॉटलिंग एवं ईंधन उपयोग संबंधी सुझाव देकर ईंधन की खपत को कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त, लोकोमोटिव तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित AI-सक्षम कैमरे एवं लेज़र स्कैनर ओवरहेड विद्युत उपकरणों का वास्तविक समय में निरीक्षण कर सकते हैं, मानव रहित समपार फाटकों या लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैक अवरोधों का पता लगा सकते हैं तथा विद्युतीकृत क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश या मानव गतिविधियों की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं। यात्रियों के लिए भी A। यात्रा अनुभव को अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकता है। एकीकृत AI आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्री अपने कोच, प्रतीक्षालय, विश्राम गृह, चिकित्सा सुविधाओं तथा ऑनबोर्ड स्टाफ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल इमेजिंग एवं AI की सहायता से प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में भीड़ का वास्तविक समय में विश्लेषण कर प्रभावी भीड़ प्रबंधन, संसाधनों की बेहतर योजना तथा भविष्य के अवसंरचनात्मक विकास में सहायता मिलेगी। हालाँकि भारतीय रेल ने अपनी परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी वैश्विक स्तर के दक्ष, प्रभावी और किफायती रेल तंत्र के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रेल परिचालन की मुख्यधारा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सुनियोजित एवं व्यापक एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। AI का विवेकपूर्ण और प्रभावी उपयोग भारतीय रेल को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट, टिकाऊ तथा वास्तविक अर्थों में यात्री-केंद्रित बना सकता है, जिससे वह भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। AI केवल एक नई तकनीक नहीं, बल्कि भारतीय रेल के भविष्य को नई दिशा देने वाला वास्तविक "गेम चेंजर" सिद्ध हो सकता है। लेखिका 2009 बैच की भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा (IRTS) की अधिकारी हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात को देश का अग्रणी डेटा सेंटर हब बनाने के संकल्प के साथ 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29' की घोषणा की

▸▸ 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29'
▸▸ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29' से गुजरात देश में डेटा सेंटर स्थापना के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा
▸▸ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात देश की डिजिटल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है
▸▸ राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29' लागू की गई है

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ गुजरात का धोलेरा विश्व का सबसे बड़ा 'डेटा सेंटर सिटी' बनेगा
▸▸ पॉलिसी में 51 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी के उपयोग तथा डीसेलिनेशन प्लांट द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कर सस्टेनेबिलिटी पर विशेष बल दिया गया है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29' का लॉन्चिंग करते हुए कहा कि इस पॉलिसी के माध्यम से गुजरात देश में डेटा सेंटर स्थापना के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े डेटा उपयोगकर्ता तथा डेटा उत्पादक देशों में स्थान प्राप्त कर रहा है। डिजिटल युग में डेटा सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी संपत्ति बन गया है। डेटा ही विकसित भारत के आर्थिक विकास का नया आधार बनकर डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर रहा है।

राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई इस 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29' के लॉन्चिंग समारोह का आयोजन गुरुवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के अग्रणियों की उपस्थिति में किया गया।

मुख्यमंत्री ने इस समारोह में कहा कि डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन जैसे उभरते क्षेत्रों को नई गति मिली है तथा वर्ल्ड क्लास डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशाल अवसर उत्पन्न हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष के केंद्रीय बजट में देश को क्लाउड तथा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। साथ ही; उन्होंने जोड़ा कि डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के वैश्विक कामकाज के लिए सेवा प्रदाताओं को 20 वर्ष का टैक्स हॉलिडे प्रदान किया गया है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरकबल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज गुजरात देश की डिजिटल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। एआई आधारित टेक्नोलॉजी के तीव्र विकास के साथ स्केलेबल डेटा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग सतत बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29' लागू की है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नई पॉलिसी द्वारा राज्य में क्लाउड सर्विसिस, एआई, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स तथा डिजिटल गवर्नेंस जैसी सेवाओं को और अधिक सक्षम एवं गतिशील बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध है, जो इस पॉलिसी में स्पष्ट दिखाई देता है। 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी' केवल राज्य ही नहीं, बल्कि देश की नई पीढ़ी के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोड़ा कि आने वाले समय में ऐसी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ (बैकबोन) साबित होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में गुजरात भरोसे का वैश्विक ब्रांड बना है।

श्री संघवी ने देश में सेमीकंडक्टर तथा डेटा क्षेत्र में अतीत में मिली विफलताओं का वर्णन करते हुए कहा कि 1976 से 2009 तक देश में अनेक बार ओर घोषणाएं हुईं, परंतु प्रोजेक्ट्स जमीन पर नहीं उतर सके। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ। केवल 4 महीनों की अल्पावधि में गुजरात ने 3 से अधिक सेमीकंडक्टर ओसैट (ओएसएटी) प्लांट का लोकार्पण कर अपनी क्षमता सिद्ध की है।

धोलेरा की क्षमता के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल धोलेरा में ही पॉलिसी की क्षमता से दोगुनी डिमांड है, जिसके परिणामस्वरूप धोलेरा विश्व का सबसे बड़ा 'डेटा सेंटर सिटी' बनेगा। डेटा सेंटर स्थापित करने के साथ-साथ आगामी समय में धोलेरा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) का मुख्यालय बनाने की दिशा में भी सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। धोलेरा की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शीघ्र ही नया एक्सप्रेसवे कार्यरत होगा और अहमदाबाद से धोलेरा के बीच सेमी-हाईस्पीड ट्रेन भी शुरू होने जा रही है।

गुजरात सरकार की विश्वसनीयता इतनी मजबूत है कि पॉलिसी आज लॉन्च हुई है, परंतु पॉलिसी की 7.5 गीगावाट क्षमता के मुकाबले देश तथा दुनिया की लीडिंग कंपनियों की ओर से सरकार को उससे दोगुनी क्षमता की डिमांड वाले रिक्वेस्ट लेटर्स मिल चुके हैं।

डेटा सेंटर में बिजली तथा पानी की जरूरत अधिकतम होती है। इस पॉलिसी अंतर्गत डेटा सेंटरों में उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा में से अनिवार्य रूप से 51 प्रतिशत ग्रीन ऊर्जा का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा; किसानों या अन्य उद्योगों की कीमत पर नहीं, बल्कि समुद्र के पानी को मीठा करने के लिए डीसेलिनेशन प्लांट पर बल देकर जलापूर्ति की जाएगी।

सरकारी प्रक्रिया में विलंब के निवारण के लिए आगामी समय में स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन मीटिंग आयोजित कर निवेशकों को लैंड पॉकेट्स दिखाए जाएंगे। धोलेरा में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए हैंड-होल्डिंग करने तथा डे-टू-डे प्रक्रिया सरल बनाने के लिए वरिष्ठ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।

श्री संघवी ने अंत में वैश्विक हाइपरस्केल तथा एआई क्षेत्र के सभी निवेशकों को गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि डेटा सेंटर क्षेत्र में गुजरात पूरे देश में शीर्ष पर रहेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा, नई "विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी" के परिणामस्वरूप गुजरात एआई एवं डेटा सेंटर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात को कुल 10 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8 गीगावाट तक की क्षमता विकसित करने का राज्य सरकार का आयोजन है। यह केवल डेटा स्टोरेज तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र देश एवं दुनिया के लिए एक संपूर्ण एआई इकोसिस्टम तैयार करने का एक हिस्सा है।

श्री मोढवाडिया ने और विवरण देते हुए कहा कि अब का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कम्प्यूटिंग का है, जो नई विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधारस्तंभ है। गुजरात ने इस नई क्रांति में 'प्राइम मूवर' बनने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वैश्विक परिदृश्य तथा वर्तमान समय में वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता की तुलना में भारत को अभी लंबी यात्रा तय करनी बाकी है। आज अमेरिका में लगभग 5,500 और यूनाइटेड किंगडम में 500 से अधिक डेटा सेंटर हैं, जबकि भारत में केवल लगभग 200 ही डेटा सेंटर हैं। अमेरिका की 30 गीगावाट क्षमता के मुकाबले भारत की वर्तमान क्षमता केवल 2 से 3 गीगावाट है और आगामी प्रोजेक्ट्स को भी गणना में लें, तो भी हम 5 गीगावाट को पार नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक नीति को आकार देने में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन ने अभूतपूर्व इच्छाशक्ति दिखाई है। इसके परिणामस्वरूप आगामी 10 वर्षों में गुजरात एआई इकोसिस्टम का भी केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए मंत्री श्री मोढवाडिया ने सभी निवेशकों से अनुरोध किया।

मुख्य सचिव श्री मनोजकुमार दास ने "विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी" को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में गेम-चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के युग में मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और विशेष रूप से डेटा सेंटरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है।

मुख्य सचिव श्री ने जोड़ा कि डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में पानी एवं बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए गुजरात सज्ज है, क्योंकि राज्य के पास विशाल समुद्री तट तथा सौर-पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रचुर स्रोत उपलब्ध हैं। इस नई पॉलिसी द्वारा गुजरात में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश आने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा है, जो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार गुजरात को 'हाई-मिडल इकोनॉमी' के रूप में और मजबूत बनाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. पी. भारती ने इस पॉलिसी की विशेषताओं का वर्णन किया।

इस कार्यक्रम में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, इंडस्ट्री लीडर्स, निवेशक तथा विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मंडल के कटोसण रोड–रणुज रेलखंड पर 09 से 11 जुलाई के बीच सीआरएस द्वारा संरक्षा निरीक्षण,यात्री रेल सेवाओं के शुभारंभ की दिशा में अहम कदम

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा रेल अवसंरचना के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा रही है। अहमदाबाद मंडल के कटोसण रोड–रणुज (63 किलोमीटर) रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त (Commission of Railway Safety) द्वारा 09 से 11 जुलाई, 2026 तक संरक्षा निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है।

निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 09 एवं 10 जुलाई, 2026 को मोटर ट्रॉली द्वारा रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा, जबकि 11 जुलाई, 2026 को इस रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन स्पीड ट्रायल किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान रेलखंड पर उच्च गति से ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

निरीक्षण टीम में रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम सर्कल) श्री ई. श्रीनिवास, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) श्री प्रदीप गुप्ता, डायरेक्टर गुजरात रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (G-RIDE) श्री राजकुमार, जनरल मैनेजर (सिविल) G-RIDE श्री शिवेन्द्र कुमार, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इस परिवर्तित ब्रॉडगेज रेलखंड को यात्री यातायात के लिए स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग व्यवस्था, पुलों, ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) प्रणाली, इंटरलॉकिंग, ट्रैक फिटिंग, बैलास्ट, OHE की ऊँचाई सहित सभी संरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही रेलखंड पर अधिकतम सुरक्षित गति का भी परीक्षण किया जाएगा।

मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि वर्तमान में इस रेलखंड पर केवल मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। सीआरएस निरीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे क्षेत्र के यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध होगी तथा उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस रेलखंड के अंतर्गत बेचराजी, खांभेल एवं चाणसमा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं, जो महेसाणा एवं पाटण जिलों के प्रमुख केंद्र हैं। यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने से स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों तथा व्यापारियों को बेहतर एवं किफायती आवागमन सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही, देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध बेचराजी मंदिर में दर्शन एवं मेले में भाग लेने आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा।

यह परियोजना क्षेत्र की कृषि, लघु उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगी। किसानों को अपने कृषि उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुँचाने में सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की आधुनिक, सुरक्षित एवं यात्री-केंद्रित कार्यप्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी तथा समग्र आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।

आम जनता से विशेष अपील

संरक्षा की दृष्टि से आम नागरिकों से अनुरोध है कि 09 से 11 जुलाई, 2026 के दौरान निरीक्षण अवधि में रेल पटरियों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी परिस्थिति में रेल लाइन पार करने का प्रयास न करें। निरीक्षण के दौरान इस रेलखंड पर उच्च गति से ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

बेचराजी स्टेशन पर सांसद एवं रेल अधिकारियों का स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वागत,बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमः यात्री ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत कटोसण रोड–रणुज रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण के रूप में, रेलवे संरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा तीन दिवसीय संरक्षा निरीक्षण प्रारंभ किया गया है। निरीक्षण के प्रथम दिन कटोसण रोड से बेचराजी तक लगभग 25 किलोमीटर लंबे रेलखंड का गहन और विस्तृत निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर बेचराजी स्टेशन पर महेसाणा के माननीय सांसद श्री हरि भाई पटेल, रेल संरक्षा आयुक्त (वेस्टर्न सर्कल) श्री ई. श्रीनिवास और अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश का स्थानीय नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की दिशा में बढ़े कदम

माननीय सांसद महेसाणा श्री हरिभाई पटेल ने कहा कि बेचराजी और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लोग लंबे समय से रेल सेवा की मांग कर रहे थे, जिसमें कटोसण, बेचराजी और चाणस्मा होकर रणुज तक जाने वाला सर्कुलर रूट शामिल है। स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए, हमने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास कई बार और कमेटी में भी यह बात उठाई है। हमने इस मांग को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया, जिसके बाद हमें पता चला कि इसका निरीक्षण (CRS) होने जा रहा है। यह उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने संबंधित अधिकारियों और रेल मंत्री से संपर्क किया। हमने गुजरात के रेलवे नेटवर्क और मारुति के नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर प्रयास किए हैं। आज हमारे लिए एक शुभ दिन है क्योंकि इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण के पूरा होने के बाद, बेचराजी से लेकर चाणस्मा और रणुज तक रेलवे की सभी जांच पूरी हो जाएगी और यदि कोई कमी रह जाती है, तो उसे दूर करने के आदेश दिए जाएंगे ताकि काम पूरा किया जा सके।"

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि इस रेलखंड पर लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा यात्री रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की जा रही थी। किसी भी नए रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने से पूर्व रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा इस रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि लगभग 63 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड के गेज परिवर्तन परियोजना को वर्ष 2017 में स्वीकृति मिली थी। लगभग 1000 करोड़ लागत की यह परियोजना जी-राइड (G-RIDE) संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत विकसित की गई है, जिसमें भारतीय रेल, मारुति तथा गुजरात सरकार की भागीदारी है। इस रेलखंड पर कुल 14 स्टेशन विकसित किए गए हैं। डीआरएम ने कहा कि यह परियोजना इंजीनियरिंग की दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही है। निरीक्षण के दौरान 10 प्रमुख कर्व, 20 बड़े पुल, लगभग 100 छोटे पुल तथा 47 लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर निर्मित रोड अंडर ब्रिज (RUB) सहित विभिन्न संरचनाओं का गहन परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म की लंबाई, पेयजल, यात्री सुविधाओं, ट्रैक, सिग्नलिंग एवं अन्य संरक्षा मानकों की भी विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में सुरक्षित एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के प्रथम दिन कटोसण रोड से बेचराजी तक का निरीक्षण सम्पन्न हुआ है। दूसरे दिन बेचराजी से चाणसमा तथा तीसरे दिन चाणसमा से रणुज तक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण पूर्ण होने के उपरांत रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा आवश्यक सुधार एवं कमियों के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। सभी आवश्यक कार्य पूर्ण होने तथा संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। रेलवे का प्रयास है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया जाए।

इस रेलखंड के शुरू होने से महेसाणा एवं पाटण जिलों के प्रमुख केंद्र जैसे बेचराजी, खांभेल एवं चाणसमा आपस में जुड़ेंगे। इससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को किफायती आवागमन सुविधा मिलेगी। साथ ही, विश्व प्रसिद्ध बेचराजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। यह रेल परियोजना क्षेत्र की कृषि, लघु उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।

वडोदरा मंडल का 'Passenger First' अभियान, भारी वर्षा के दौरान यात्रियों को पहुंचाई हरसंभव सहायता

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल मार्गदर्शन में मंडल के विभिन्न विभागों की टीम द्द्वारा पिछले दिनों हुई लगातार भारी वर्षा एवं उससे उत्पन्न परिचालन संबंधी चुनौतियों के दौरान "Passenger First, Always" के अपने संकल्प को चरितार्थ करते हुए अंकलेश्वर एवं भरूच रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई मंडल में नालासोपारा - विरार रेल खंड पर जलजमाव के कारण मुंबई मंडल में रेल परिचालन प्रभावित हुआ, फलस्वरूप वडोदरा मंडल में भी कुछ लम्बी दूरी की ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया गया। इस परिस्थिति में भी वडोदरा मंडल ने यात्रिओं को हरसंभव सहायता पहुंचाने के प्रयास किये। अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग, रेल सुरक्षा बल, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, स्टेशन प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर राहत एवं सहायता कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए गए। लगभग 200 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित रूप से सूरत जाने वाली ट्रेनों में समायोजित किया गया। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था हेतु GSRTC की बसों को स्टैंडबाय पर रखा गया, हालांकि अंततः उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए 700 से अधिक रिफ्रेशमेंट पैकेट, मुरमुरा एवं बिस्कुट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 4 विशेष काउंटर (UTS, PRS, TDR सहायता एवं सहयोग डेस्क) खोले गए तथा 14 से अधिक वाणिज्यिक कर्मचारियों को सुचारु संचालन एवं यात्री सहायता के लिए तैनात किया गया। सभी यात्रियों की शिकायतों एवं सहायता संबंधी आवश्यकताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया।

इसी प्रकार भरूच रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। लगभग 250 यात्रियों को ट्रेन संख्या 19012 से ट्रेन संख्या 22195 में स्थानांतरित कर उनकी यात्रा सुगम बनाई गई। रिफंड चाहने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए तथा स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) के सहयोग से प्रभावित यात्रियों को हल्के जलपान एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। यात्रियों को गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेज़ी में नियमित घोषणाओं के माध्यम से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु विशेष सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रभावित यात्रियों को समय पर सहायता मिली, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हुई तथा रिफंड एवं अन्य सेवाओं का त्वरित निस्तारण किया जा सका। पूरे अभियान के दौरान मंडल के रेल कर्मचारियों ने समर्पण, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यात्रियों की हरसंभव सहायता की।

वडोदरा मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं विश्वस्तरीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मंडल का प्रत्येक कर्मचारी "Passenger First, Always" के सिद्धांत के अनुरूप यात्रियों की सेवा में पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है।

भारी वर्षा के कारण सूरत शहर एवं जिले में उत्पन्न बाढ़ के हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सूरत पहुंचे : उच्चस्तरीय बैठक में लिया हालात का जायजा

▸▸ खाड़ी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय : राज्य सरकार खाड़ी डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी
▸▸ मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल एक्शन प्लान बनाकर उसे लागू करने के निर्देश दिए, ताकि बाढ़ के दौरान सामने आई प्रशासनिक त्रुटियों का पुनरावर्तन न हो

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ मिलकर सेतु की भूमिका निभाएं
▸▸ सूरत में खाड़ी में बाढ़ की ऐसी स्थिति बार-बार उत्पन्न न हो, इसके लिए दीर्घकालिक रोकथाम संबंधी उपायों की आवश्यकता

गांधीनगर : भारी वर्षा के कारण सूरत शहर और आसपास के क्षेत्रों में पैदा हुए बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को सूरत पहुंचे। उन्होंने अलथाण स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित कर भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति, पानी उतरने के बाद साफ-सफाई, रोग नियंत्रण के उपाय तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक सहायता देने के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, वित्त सह सूरत जिला प्रभारी मंत्री श्री कनुभाई देसाई और स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानशेरिया की उपस्थिति में सूरत शहर और जिले के प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी हासिल की। साथ ही, उन्होंने जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकरियों को वर्षा प्रभावित सभी लोगों को जल्द से जल्द से कैशडोल्स और घरेलू सामानों की सहायता प्रदान करने के दिशानिर्देश भी दिए।

उन्होंने सूरत में खाड़ी में बाढ़ की स्थिति बार-बार उत्पन्न न हो, इसके लिए दीर्घकालिक रोकथाम संबंधी योजना की आवश्यकता पर बल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को तत्काल एक्शन प्लान बनाकर लागू करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि भारी वर्षा की विकट स्थिति और बाढ़ के दौरान सामने आई प्रशासनिक भूलों-त्रुटियों का भविष्य में पुनरावर्तन न हो। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार सूरत में खाड़ी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधन के लिए खाड़ी डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवश्यक है कि भारी वर्षा, बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों से निपटने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी सेतु की भूमिका निभाएं। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ अपना कार्य सुनिश्चित करने और भविष्य के आयोजन के लिए खाड़ी में बाढ़ आने से रोकने के लिए ठोस योजना बनाने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सूरत शहर एवं जिले में भारी वर्षा के बाद पैदा हुए हालात के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखते हुए संपर्क में है। सरकार मानसून के दौरान किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए सूरत जिला प्रशासन के साथ है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण सूरत शहर और आसपास के इलाकों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। सूरत में खाड़ी में बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खाड़ी डेवलपमेंट और सुधार कार्यों के लिए मंजूर की है, इससे भविष्य में खाड़ी में बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि महानगर पालिका, जिला प्रशासन या अन्य सरकारी विभागों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण या दूसरे किसी भी नए कार्यों के साथ ही बाढ़ की स्थिति के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों में कोई खराब गुणवत्ता या छिपी गलती सामने आएगी, तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। इस प्रकार की लापरवाही करने वाले या उसमें संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाने के निर्देश सभी उच्च अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए सूरत महानगर पालिका, पुलिस तंत्र, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) तथा फायर ब्रिगेड की टीमों ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रशंसनीय काम किया है। इन सरकारी तंत्रों के साथ-साथ सूरत शहर के 5000 से अधिक सेवाभावी नागरिकों और स्वयंसेवकों ने भी पूरे उत्साह के साथ सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि सूरत के लोगों ने इस कठिन समय में अद्भुत संयम और सामूहिक शक्ति का उदाहरण पेश किया है। मनपा आयुक्त श्री एम. नागराजन ने कहा कि सूरत शहर में अकेले इस सप्ताह में ही मानसून सीजन की 30 फीसदी बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 3600 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 4100 प्रभावितों को रिलीफ सेंटर में भेजा गया है। एनडीआरएफ की 2 और एसडीआरएफ की 5 टीमें कार्यरत हैं।

जिला कलेक्टर श्री तेजस परमार ने बताया कि पलसाणा और कामरेज में सर्वाधिक बारिश हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का तेजी से सर्वे हो रहा है और कल यानी बुधवार से ही कैशडोल्स और घरेलू सामानों की सहायता देने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने शहर एवं जिले में करीब 40 कच्चे एवं पक्के मकानों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी।

बैठक में जिला प्रभारी सचिव श्रीमती शालिनी अग्रवाल, विधायक सर्वश्री मुकेशभाई पटेल, मनुभाई पटेल, संदीपभाई देसाई, अरविंदभाई राणा, संगीताबेन पाटिल, किशोरभाई कानाणी, कांतिभाई बलर, प्रवीणभाई घोघारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री समीर मोदी, महापौर श्रीमती मायाबेन मावाणी, पुलिस आयुक्त श्री वाबांग जमीर, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री विक्रांत पांडे, जिला विकास अधिकारी श्री देवेंद्र प्रकाश मीणा, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश गढ़िया, निवासी अपर कलेक्टर श्री विजय रबारी सहित कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नवसारी पहुंचे तथा नवसारी शहर एवं जिले में हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति में प्रशासन के राहत एवं बचाव तथा सहायता कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने नवसारी और वलसाड के जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा जिला विकास अधिकारियों सहित विधायकों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशानिर्देश दिए।